अध्याय II: प्रणालीगत मामले

2.1 आईएस नीतिगत योजना

डीओएस के पास केंद्रीयकृत कार्यान्वयन के लिए वितरित प्रचालनों से स्थानांतरण सहित योजना हेतु कोई आईएस नीतिगत योजना नहीं है, जिसके द्वारा आधार भूत संरचना को समेकित करते हुए केन्द्रीय रूप से लागू किया जा सके। हालांकि, विभाग द्वारा संदर्भित नीतिगत योजना आईएस समेकित योजना थी, जो 2004 में प्रस्तावित की गई थी और 2011 तक लागू की गई थी। केंद्रीयकृत पद्धति से योजनाबद्ध स्थानांतरण के पूरा करने के बाद विभाग के पास भी भविष्य हेतु किसी दीर्घावधि आईएस नीतिगत योजना नहीं है।

आदर्शत:, एक वृहत सरकारी विभाग में आईटी विभाग सहित विभिन्न पणधारकों वाली एक औपचारिक आईएस संचालन समिति होने की संभावना होगी। समिति आईएस के संपूर्ण निर्देशन के लिए उत्तरदायी होगी। एक बार आईएस के लिए भावी निर्देशन पर समिति सहमत होने पर, आईएस नीतिगत योजना में निर्णयों की औपचारिकता और दस्तावेजीकरण किया जाना अपेक्षित है। संस्था को अपनी कार्पोरेट नीतिगत योजना के अनुसार आईएस योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है और दी गई भावी अवधि के लिए अपनी आईएस आवश्यकताओं को मिलान करना है। यह बढती हुई संभावना के साथ विभाग को उपलब्ध करा सकता है:

I. मौजूदा उत्पादों और सेवाओं के मूल्य का बढ़ना,
II. नये उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना, और
III. वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्रों को आरंभ करना।

आईएस से लाभ प्राप्त करने हेतु परिवर्तनों के लिए तैयार करने के लिए और आर्थिक और प्रभावी दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के लिए योजना दूरदर्शिता आवश्यक है। आईएस योजना किसी संस्था पर प्रगतिशील प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकियों के प्रभाव को प्राप्त करने वाले संरचित साधन प्रदान करती है। योजना प्रक्रिया द्वारा, प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों की विस्तृत व्यापार उद्देश्यों और लक्ष्यों के संदर्भ में पहचाना जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। प्रांसगिक प्रौद्योगिकियों के तुलनात्मक निर्धारण के आधार पर, संस्था के लिए निर्देश दिये जा सकते हैं।

सीबीईसी की आईएस प्रबंधन शैली दोहराई जाने योग्य है परंतु कुछ परिभाष्य प्रक्रियाओं के अंतर्ज्ञान के साथ और तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे व्यापार और तकनीकी वातावरण में न ढूंढे जा सकने वाले गैर अनुपालन का एक जोखिम पैदा करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2008 से सीएजी द्वारा किये गये अवलोकन के अनुसार आईसीईएस 1.0 से आईसीईएस 1.5 से स्थानंतरित करते समय आईएस के प्रबधन में कुछ गुणवत्ता संबंधी परिवर्तन हुए थे। हालांकि, डीओएस ने सूचित किया कि उन्होंने जोखिम रजिस्टर तैयार किये और जोखिमों की पहचान की, रजिस्टर (रजिस्टरों) संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इसी प्रकार, सेवाओं की समय-बद्धता और गुणवत्ता को शामिल करने वाले मुख्य निष्पादन संकेतकों के मापन हेतु मानदंडों के प्रबंधन अपूर्ण थे, जो प्रबंधन मामलों द्वारा दर्शाये गये थे और वे एप्लिकेशन के क्षेत्र और कार्यात्मकता पर आधारित थे।

सिफारिश: *विभाग अपनी भावी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी व्यापार नीति के अनुरूप आईएस योजना के विकास हेतु एक संचालन समिति के गठन पर विचार कर सकता है।*

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि संस्थापन योजना के पूरा होने के बाद, विभाग विभिन्न एप्लिकेशनो के बीच अतिरिक्त कार्यात्मकता निर्माण और इंटरफेस पर ध्यान दे रहा है। 17-18 जुलाई 2013 को हुई वार्षिक मुख्य आयुक्त की क्रांफ्रेस में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के कुशलता और प्रभावकारिता को सुधारने के लिए दृष्टि (समग्र कर पहलों हेतु ड्राईविंग इंर्फोमेशन सिस्टम)-आईटी विजन पर विचार विमर्श किया। इस पहल के अंतर्गत, हाई पॉवर्ड कमेटी (एचपीसी) जो दृष्टि के यथार्थीकरण के लिए एक उचित रोडमैंप तैयार करने हेतु सभी मामलों की जांच करेगा, को स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इस एचपीसी चार्टर में शामिल होंगे:

(i) दृष्टि को सफल बनाने हेतु नीतिगत उद्देश्यों की पहचान करना और औपचारीकरण करना;

(ii) व्यापार उद्देश्यों के समर्थन हेतु डाटा की पहचान करना;

(iii) व्यापार सेवाओं के समर्थन हेतु उचित आईटी आर्किटेक्चर की सिफारिश करना;

(iv) सुरक्षा, अप्रचलन और पुरालेख संबंधी नीति का सुझाव देना, और

(v) दृष्टि लागू करने के लिए किसी परामर्शदाता हेतु आवश्यकता का मूल्यांकन करना।

इसके अतिरिक्त दृष्टि सीबीईसी सदस्य (कंप्यूटरीकरण) द्वारा अध्यक्षता किये जाने वाले एक छोटे समूह की स्थापना करने की परिकल्पना भी करता है। उन विषयों का अध्ययन करने के लिए जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है एवं प्रणालियों में मौजूदा संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन का अनुक्रम/प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

सीबीईसी ने आगे (फरवरी 2013) को सूचित किया कि एचपीसी के गठन के लिए अनुमोदन उनके द्वारा 20 फरवरी 2014 को प्राप्त किया गया था।

तथापि, सीबीईसी ने न तो संदर्भ के नियमों के साथ एचपीसी के गठन से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत किए, न ही नवीनतम आईएस नीतिगत योजना की कॉपी ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई।

2.2 वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी

सीबीईसी एक आंतरिक निगरानी तंत्र जिसमें सदस्य (आईटी) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय परियोजना संचालन समिति एवं महानिदेक (प्रणाली) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति सम्मिलित करने हेतु प्रतिबद्ध था। इन समितियों में पणधारक समुदायों एवं बाहरी परामर्शदाताओं के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। तथापि, डीओएस ने कहा है कि (जून 2013) हालांकि इस प्रकार की संचालन समिति परियोजना कार्यान्वयन के समय गठित हुई थी; इसमें आवश्यक फोकस की कमी थी एवं इसका कार्यान्वयन सदस्य (कम्प्यूटराइजेशन) एवं महानिदेशक (प्रणाली) के निरीक्षण के अंतर्गत हुआ था।

फिलहाल निदेशालय के पास आईएस सुरक्षा संचालन समिति, परिवर्तन सलाहकार बोर्ड, अवसंरचना समीक्षा समिति आदि जैसी निगरानी समितियां निगरानी विशिष्ट क्षेत्रों के लिए है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में यह बताया कि इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है। हालांकि, उनके उत्तर में (फरवरी 2014) यह कहा

गया कि डीओएस ने प्रणाली जांच परिप्रेक्ष्य से 25 मूल सूचकों को अपनाया था, उनमें से कुछ अनुपालन सूचक एवं अन्य सांख्यिक/प्रतिशत सूचक हैं। इनमें उपलब्धता, घटनाएं, परिवर्तन, सुरक्षा उपभोक्ता अभिगमन एवं व्यापार निरंतरता शामिल है। इनकी त्रैमासिक सुरक्षा समीक्षा बैठकों के दौरान प्रत्येक तिमाही में सूचना सुरक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। एसआई (प्रणाली एकीकरण) दल जो कि ई-भुगतान, ई-दर्ज एवं उपभोक्ता प्रतिक्रिया समय, प्रणाली निष्पादन की निगरानी हेतु सीबीईसी के लिए दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक प्रणाली रिकार्ड बनाते है के अतिरिक्त, यहाँ पर एक परिवर्तन सलाहाकार बोर्ड (सीएबी) है जिसमें केवल सीबीईसी अधिकारी सम्मिलित हैं जो कि प्रणाली में मुख्य एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन के अनुमोदन हेतु प्रत्येक सप्ताह मिलते हैं। प्रणाली में सभी परिवर्तन सेवा प्रबंधन उपकरण में प्रविष्ट किए जाते हैं एवं तृतीय दल लेखापरीक्षकों द्वारा द्वीवार्षिक लेखापरीक्षा की जाती है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि दावा सिद्ध करने हेतु लेखापरीक्षा को परिवर्तन के संदर्भ में कोई अभिलेख/रिर्पोट प्रस्तुत नहीं किए गए थे, लेखापरीक्षा को तृतीय पक्ष के साथ सेवा स्तरीय करार अथवा उनकी द्विवार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

2.3 मानव संसाधन विकास

आईएस परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए गठित सशक्त समिति की शर्तों में से एक शर्त व्यक्तिगत मामलों से संबंधित समस्याओं एवं प्रणाली परियोजनाओं पर कार्य कर रहे स्टाफ संबंधित नीतियों पर निर्णय लेना था। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) के पैरा 5 के अनुसार, परियोजना की अवधि के दौरान आवश्यक श्रम बल और कौशल की समीक्षा हेतु एक सतत प्रक्रिया होगी। आगे सचिव (राजस्व) ने जोर दिया है (गैर-योजना व्यय (सीएनई) दिनांक 09 अगस्त 2007 लिखित ब्यौरा पर कैबिनेट समिति के पैरा 4.1) कि विक्रेता प्रबंधन के लिए क्रियाविधियां विकसित होनी चाहिए एवं परियोजना जांच की प्रक्रिया सम्पूर्ण रूप से मैसर्स प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) पर नहीं छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा, सीएनई/सीसीइए स्तर पर, अपर सचिव ने यह सुझाव दिया है कि

पीडब्ल्यूसी और आईआईटी दिल्ली के अतिरिक्त पर्याप्त आंतरिक योग्यताओंका निर्माण अवश्य होना चाहिए।

तथापि, यह पूछे जाने पर कि यदि इनकी आईसीटी प्रणालियों के चयन, भर्ती एवं कार्मिक के अवधारण हेतु कोई नीतिगत योजना है, डीओएस ने कहा कि (जून 2013) इन मामलों पर किसी भी प्रकार की नीतिगत योजना उन्हें ज्ञात नहीं है।

फिलहाल, लगभग 98 प्रतिशत सीमाशुल्क लेन-देन आईसीईएस के द्वारा किए जा रहे हैं और विभाग सीमाशुल्क राजस्व के निर्धारण एवं संचयन हेतु पूरी तरह इसकी आईएस प्रणाली पर निर्भर है। इसलिए आईएस प्रणाली के प्रबंधन के लिए तकनीकी रूप से योग्य अधिकारियों की भर्ती के लिए कार्मिक नीति नहीं होने के कारण, विभाग आंतरिक योग्यताओं/क्षमताओं के निर्माण में असफल हो रहा है और अपने बेहतर प्रबंधन के विकल्पों को सीमित कर रहा है एवं तृतीय पक्ष विक्रेता/सेवा प्रदाताओं जो आईएस प्रणालियों का प्रबंधन करते हैं के द्वारा आईएस प्रणालियों की जांच हो रही है।

सिफारिश: *सीबीईसी के आईएस प्रबंधन के प्रबंधन के लिए आंतरिक सक्षमता के विकास के लिए एक कार्मिक नीति आईटी कार्मिक की भर्ती, विकास एवं प्रशिक्षण द्वारा विभाग की आईएस प्रणाली महत्वपूर्ण मिशन को सुचारू रूप से संचालन हेतु विकसित की जा सकती है।*

सीबीईसी की आईटी प्रणालियों के प्रबंधन के लिए आंतरिक सक्षमता के विकास हेतु विभाग के महत्वपूर्ण मिशन आईटी प्रणाली के निरंतर सुचारू रूप से संचालन हेतु आईटी कार्मिक के भर्ती, विकास प्रशिक्षण एवं रोक रख कर कार्मिक नीति के विकास के संदर्भ में लेखापरीक्षा का सुझाव स्वीकार करते हुए सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा है (जनवरी 2014) कि परियोजना की जांच एवं पर्यवेक्षण हेतु वर्तमान आबंध मॉडल में प्राइस वाटरहाऊस कूपर (पीडब्ल्यूसी) द्वारा चालित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा समर्थित आईआरएस (सी एंव सीई) सम्मिलित हैं। पीडब्ल्यूसी सलाहाकार सीबीईसी अधिकारियों को केवल सहायता प्रदान करते हैं और वैसे तो पीएमयू को कोई उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं है। वस्तुतः सभी परियोजनाएं का सीबीईसी के अपर महानिदेशक (संयुक्त सचिव स्तरीय अधिकारियों) की अध्यक्षता में

परियोजना दलों द्वारा सक्रिय रूप से जांच एंव पर्यवेक्षण किया जाता हैं। तकनीकी जानकारी हेतु, तकनीकी विशेषज्ञ समूह (टीईजी) के रूप में एक औपचारिक संबद्धता क्रियाशील है एवं आईआईटी दिल्ली से तीन प्राध्यापकों का दल नियमित आधार पर दलों की सहायता करता है।

सीबीईसी ने इसके आगे कहा है कि (फरवरी 2014) सीबीईसी में आईटी व्यवस्था सदस्य (कम्प्यूटरीकरण) की अध्यक्षता में है एवं 8 अपर महानिदेशक/आयुक्त, 15 अपर/संयुक्त निदेशक; 14 उप/सहायक निदेशकों द्वारा समर्थित महानिदेशक प्रणाली से बना है। एचपीसी के गठन हेतु अनुमोदन 20.02.2014 को प्राप्त हुआ है। टीईजी के संदर्भ में, वही एकीकरण परियोजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान ही केवल क्रियाशील था वर्तमान में क्रियाशील नहीं है। तकनीकी इनपुटो के लिए, जहां आवश्यक हो, आईआईटी दिल्ली से सलाह ली जाती है। पीएमयू केवल अपर महानिदेशकों अथवा आयुक्तों की अध्यक्षता वाली व्यक्तिगत परियोजना दलों की सहायता प्रदान करता है एवं सीबीईसी के आईटी संगठन के क्रियाशील अनुक्रम का कोई भाग नहीं है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि लेखापरीक्षा के दौरान, एचपीसी, पीएमयू एवं टीईजी, डीओएस में क्रियाशील नहीं थे। आगे, सीबीईसी ने एसएलएएस द्वारा मुहैया आऊटसोर्स सेवा प्रदाताओं और डीओएस अधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिका का सामंजस्य अथवा अंतराल आंकलन प्रदान नहीं किया है।

2.4 प्रशिक्षण नीति

आईटी प्रक्रियाओं संस्करण 1.7 के पैरा 6.2.2 के अनुसार, सीबीईसी उपभोक्ताओं को आवधिक आधार पर सूचना सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं पहले से प्रशिक्षित कर्मचारियों को नए खतरों एवं प्रत्युपायों पर पुन:प्रशिक्षित करने हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए जायेंगे।

डीओएस के अनुसार, 2010 में 19,000 उपभोक्ताओं को परिवर्तन प्रबंधन एवं नेटर्वक प्रबंधन प्रशिक्षण दिए गए थे, जून 2012 में तृतीय पक्ष विक्रेताओं के लिए सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण संचालित किया गया था। किंतु नेटवर्क प्रशिक्षण पर कोई दस्तावेज़ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया एवं तृतीय

पक्ष कार्मिक के लिए सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण की प्रतिपुष्टि/फीड बैक प्रोफार्मा के अलावा, कोई भी विवरण जैसे, प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या पाठ्यक्रम सामग्री, प्रशिक्षण की अवधि, सम्मिलित विक्रेताओं के नाम आदि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। लेखापरीक्षा ने अवलोकिन किया कि विभाग ने 2010 के बाद, सीबीईसी उपभोक्ताओं को सूचना सुरक्षा पर कोई भी आवधिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया हालांकि आईटी सुरक्षा प्रणाली के पैरा 6.2.2 के अनुसार यह आवश्यक था। आगे डीओ एस ने कहा है कि विभाग अपनी वेबसाइट पर एक द्विवार्षिक सूचना सुरक्षा सूचना पत्र "सुरक्षित" प्रकाशित करता है एवं सिटरिक्स (आईसीईएस 1.5 ब्राउज़र मंच) होमपेज पर उपभोक्ताओं को दिन की एक सुरक्षा सलाह देता है। यह देखा गया कि सीबीईसी वेबसाइट पर जनवरी 2013 में "सुरक्षित" के प्रारम्भिक निर्गम के बाद, लेखापरीक्षा की तिथि तक सूचना पत्र को कभी भी अनुवर्ती रूप से जारी नहीं किया गया।

उसी तरह से, महानिदेशक निरीक्षण ने उन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सूचना की मांग की जो कि 1 फरवरी 2013 की सीबीईसी की पंचवर्षीय नीतिगत योजना हेतु कुशलतापूर्वक आईसीईएस को उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित हैं। आरएफडी एफवाई 13 में यह गतिविधियां पहले से ही सम्मिलित है; किंतु माप और सफलता सूचक आईसीटी एवं आईसीईएस के उपयोग के मामले में सरकार द्वारा पहले से लिए गए नीति निर्णय से सहसंबंधित नहीं है।

सीबीईसी ने (जनवरी 2014) में अपने उत्तर में यह कहा था कि:

1. लेखापरीक्षा दल को यह सूचित किया गया था कि एलएएन/डब्ल्यूएएन एवं लगभग 19,000 उपभोक्ताओं को दी गई परिवर्तन प्रबंधन प्रशिक्षण के दस्तावेज़ एलएएन/डब्ल्यूएएन परियोजना दल के पास उपलब्ध थे एवं वह अनुमोदन पर प्रस्तुत किए जा सकते थे। लेखापरीक्षा का यह द्वावा कि प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या, पाठ्यक्रम सामग्री, प्रशिक्षण की अवधि, तृतीय दल सुरक्षा जागरूकता प्रतिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित विक्रेता के नाम लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, तथ्यों के आधार पर

गलत है। लेखापरीक्षा दल को कार्यालय के निरीक्षण की अवधि के दौरान ये सभी उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

2. सीबीईसी की आईटी सुरक्षा प्रक्रिया की धारा 6.2.2 द्वारा अधिदेशित सुरक्षा जागरूकता पर प्रशिक्षण सामग्री इंड प्रयोक्ता प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एनएसीईएन सीबीईसी प्रशिक्षण अकादमी को उपलब्ध कराई गई थी।

3. सीबीईसी ने जनवरी 2013 में न्यूज़लेटर-सुरक्षित के उदघाटन अंक का शुभारंभ किया। न्यूजलेटर का दूसरा अंक जुलाई 2013 में प्रकाशित किया गया तथा यह सीबीईसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगला अंक जनवरी 2014 में प्रकाशित किया जाना है।

4. आईसीईसी से संबंधित प्रशिक्षण की दक्षता का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन पर आनलाइन कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या कई स्थानों (अब तक 116) पर बढ़ रही है तथा ईडीआई पर हैंडल किए जा रहे दस्तावेजों की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा, भूमिका आबंटन और निरस्तीकरण के लिए दैनिक उपयोगकर्ता प्रबंधन भी एप्लिकेशन के भाग के रूप में सीबीईसी अधिकारियों द्वारा निपटाया जा रहा है। चूँकि सीमाशुल्क कार्गों मंजूरी प्रक्रिया एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, आईसीईएस पर कार्य करने की सीमाशुल्क अधिकारियों की अक्षमता का भी कार्गों की मंजूरी पर असर पड़ा होगा।

हालांकि आरएफडी 2012-13 के संबंध में मापन और सफलता सूचकों की कमी से संबंधित लेखापरीक्षा की आपत्ति पर एनएसीईएन से जवाब मांगा गया है।

प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या, पाठ्यक्रम विषय वस्तु, लेखापरीक्षा हेतु सीबीईसी के लिए प्रशिक्षण की अवधि तथा एनएसीईएन द्वारा आईटी सुरक्षा जागरूकता में प्रशिक्षित सीबीईसी के अधिकारियों का स्तर (समूह 'क' या 'ख' अथवा 'ग') से संबंधित रिपोर्ट मांगे जाने पर सीबीईसी ने कहा (फरवरी 2014) कि कुल 19,621 उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया था जिसमें सीबीईसी के 108 आयुक्तालय शामिल थे। इसमें परिवर्तन प्रबंधन, लैन और वैन से संबंधित

प्रशिक्षण शामिल थे। प्रशिक्षण की अवधि परिवर्तन प्रबंधन के लिए 2 दिन तथा लैन और वैन के लिए 1 दिन थी। सीबीईसी की वेबसाइट में सुरक्षित को स्थापित करने के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षित न्यूजलेटर का जुलाई का अंक हार्ड कॉपियों के रूप में प्रकाशित किया गया था और 17वीं एवं 18वीं जुलाई, 2013 को आयोजित मुख्य आयुक्त कांफ्रेन्स के दौरान परिचालित किया गया था। जहां तक सॉफ्टकापी अपलोड करने का संबंध है, प्रकाशक द्वारा हिंदी संस्करण के सुधार के बाद न्यूजलेटर को 8 अक्टूबर, 2013 को वेबसाईट पर अपलोड किया गया जो अनुपयोगी, अपठनीय रूप में प्राप्त हुआ।

प्रणाली के सुचारू रूप् से संचालन में दक्षता निर्माण, प्रशिक्षण और अद्यतन में सीबीईसी की भूमिका के जवाब में सीबीईसी ने कहा (फरवरी 2014) कि जबकि समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, मुख्य जोर "काम पर" प्रशिक्षण पर है क्योंकि आईसीईएस 1.5 एक गतिशील एप्लिकेशन है। आईसीईएस 1.5 पर प्रशिक्षण सामग्री एनएसीईएन के साथ साझा की गई है जो विभिन्न ग्रेड/स्तरों के अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन पर प्रशिक्षण आईआरएस प्रोबेशनरों तथा अन्य अधिकारियों के लिए एनएसीईएन पर नियमित पाठ्यक्रम विषयवस्तु का एक भाग है। एनआईसी/एनआईसीएन कार्मिक बड़े आईसीईएस स्थानों पर तैनात हैं जो आवश्यकतानुसार अधिकारियों को प्रशिक्षिण देते हैं। छोटे स्थानों पर नजदीकी स्थानों से एनआईसी और एनआईसीएसआई की सहायता से अनुरोध के आधार पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी स्थानों पर आईसीईएस प्री-प्रोडक्शन परिवेशन में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की सुविधा उपलब्ध है। विस्तृत अनुदेश जारी किए जाते हैं जैसा और जब भी नई पैच/क्रियाकलाप का कार्यान्वयन किया जाता है। प्रभाव और प्रस्तावित परिवर्तनों से निपटने के लिए अधिकारियों और शेयरधारकों को निर्देश और सुझाव देने के लिए नए क्रिया कलापों के संबंध में समय-समय पर उचित सुझाव भी जारी किए जाते हैं।

आरएफडी 2012-13 के संबंध में पैमाइश और सफलता सूचकों के अभाव में सीबीईसी ने स्पष्ट किया (फरवरी 2014) कि आरएफडी 2012-13 में अपेक्षित था कि क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारी एसीईएस एवं आईसीईएस में आईटी कौशल

के लिए अधिकृत हों। मापदण्ड मूल्य/लक्ष्य के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक की सामर्थ्य को उत्कृष्ट का सूचकांक दिया गया। आरएफडी 2012-13 में निर्धारित लक्ष्य मूल्य के संबंध में 'उत्कृष्ट' मूल्यांकन प्राप्तकरने वाले कुल 26,330 कार्यकारी अधिकारियों में से एनएसीईएन ने 9490 को अधिकृत किया। आईसीईसी से संबंधित प्रशिक्षण की दक्षता का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन पर आनलाइन कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या में कई स्थानों (अब तक 116) पर बढ़ रही है तथा ईडीआई पर हैंडल किए जा रहे दस्तावेजों की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा, भूमिका आबंटन और निरस्तीकरण के लिए दैनिक उपयोगकर्ता प्रबंधन भी एप्लिकेशन के भाग के रूप में सीबीईसी अधिकारियों द्वारा निपटाया जा रहा है।

आगामी लेखापरीक्षाओं के दौरान उपरोक्त को जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

2.5 आईएस सुरक्षा

सीमाशुल्क विभाग की आईसीटी प्रणाली को जुलाई 2011 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) से मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) द्वारा आईएसओ 27001 सुरक्षा प्रमाण पत्र दिया गया और ई-शासन में सुरक्षा के लिए डाटा का उंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) एक्सलेंस अवार्ड 2012 दिया गया। डीओएस ने आईएसओ 27001 की आवश्यकताओं के अनुसार आईएस नीतियों और प्रक्रियाओं को अद्यतन किया तथा तीसरी पार्टी लेखापरीक्षकों (टीपीए), मै. प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा द्विवार्षिक आईएस सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संचालनात्मक पासवर्ड नीति की कुछ विशेषाताएं जैसे पासवर्ड संयोजन आवश्यकताएं, अनुपयोग लॉगिन प्रयासों से अकाउन्ट लाकआउट इत्यादि सूचना सुरक्षा प्रक्रिया वी 1.7 के अभिलिखित पासर्वड नीति (पैराग्राफ 9.2.3 उपयोगकर्ता पासवर्ड प्रबंधन) से अलग थे। संचालन पासवर्ड नीति में सामान्य उपयोगकर्ताओं (व्यापार) तथा रियायती उपयोगकर्ताओं (प्रशासक इत्यादि) के लिए अलग सुरक्षा विशेषताएं है जबकि अभिलिखित पासवर्ड नीति में विभिन्न श्रेणी के उपयोगकर्ताओं के लिए अलग नीतियां नहीं बनाई गई हैं। न ही इसमें सामान्य उपयोगकर्ताओं के विफल लॉगिन प्रयासों की संख्या में छूट दी गई है, जैसा कि संचालन नीति में

अनुमत किया पाया गया। डीओएस ने कहा कि प्रक्रिया दस्तावेज की समीक्षा की जा रही है और इन परिवर्तनों को वार्षिक संशोधन में शामिल किया जा रहा है। डीओएस के उत्तर से पुष्टि होती है कि सुरक्षा एप्लिकेशनों वाले मुद्दे से संबंधित परिवर्तनों को अभिलिखित प्रक्रियाओं के वर्तमान वैध संस्करण में प्रावधानों को बताए बिना ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

सिफारिश: *तार्किक सुरक्षा अवयवों के प्रचालन विशेषताओं में कोई परिवर्तन जैसे- पासवर्ड नीति को परिवर्तनों के समुचित प्राधिकरण तथा दस्तावेजीकरण के पश्चात ही निरपवाद रूप से कार्यान्वित किया जाए।*

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में कहा कि आईसीईएस उपयोगकर्ताओं के संबंध में पासवर्ड नीति के एक चरणबद्ध कार्यान्वयन का निर्णय पूरी तरह से प्राधिकृत था और त्रैमासिक सुरक्षा समीक्षा बैठक में दर्ज है। लेखापरीक्षा को बताया गया कि नीति का कार्यान्वयन अन्य श्रेणी के उपयोगकर्ताओं हेतु किया गया था।

सीबीईसी ने आगे कहा, जैसा कि सीबीईसी की सुरक्षा प्रक्रिया दस्तावेज में उल्लेख है, दस्तावेज की वार्षिक समीक्षा की जाती है। हालांकि, यह सीबीईसी की बिजनेस कॉल है कि वह चरणबद्ध तरीके से यह परिवर्तन करें। चूँकि अप्रत्यक्ष कर विशेषत: सीमाशुल्क का गतिशील कार्य परिवेश है, वर्ष में कई बार दस्तावेजीकरण में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। सभी परिवर्तनों में परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का पालन किया जाता है और दस्तावेजीकरण में अपेक्षित परिवर्तनों को वार्षिक समीक्षा के दौरान संबंधित दस्तावेज में शामिल किया जाता है। इस पर भी जोर दिया गया कि कारोबारी आवश्यकताओं को पासवर्ड नीति में परिवर्तन लागू करने जैसे मुद्दों को बताना चाहिए साथ ही वार्षिक समीक्षा के भाग के रूप में प्रक्रिया दस्तावेजों में भी शामिल किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा दल को बताया गया कि संबंधित दस्तावेज वार्षिक समीक्षा के दौर से गुजर रहा था।

सीबीईसी ने आगे कहा (फरवरी 2014) कि परिवर्तन प्रबंधन दस्तावेज केवल सीबीईसी के भीतर आंतरिक परिचालन के लिए है और सम्पूर्ण दस्तावेज को साझा करने के लिए प्रतिबन्ध हैं। यह हालांकि सीबीईसी परिसरों में निरीक्षण

हेतु उपलब्ध है। सुरक्षा प्रक्रिया दस्तावेज केवल सीबीईसी के भीतर ही परिचालित करने हेतु प्रतिबंधित दस्तावेज है।

उत्तर सवीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा सीबईसी परिसरों में की गई थी लेकिन डीओएस ने दस्तावेज नहीं दिये।

2.6 आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा

पैराग्राफ 6 और दिनांक 26 नवम्बर 2007 की कैबिनेट टिप्पणी के अनुबंध 4 के अनुसार, टीपीए को कार्यात्मक लेखापरीक्षा हेतु तैनात करना होगा; तदनुसार मै. पीडब्ल्यूसी छमाही सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षायें तथा आईटी परिसम्पतियों और विभिन्न सेवा प्रदाताओं/वेंडरों द्वारा किए गए सेवा विधिक करारों (एसएलएज़) की तिमाही लेखापरीक्षा करता रहा है। लेखापरीक्षा ने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई निवारक कार्रवाई प्रक्रिया संस्करण 1.2 में विभागीय अधिकारियों या टीपीए द्वारा आईटी प्रणाली के किसी एप्लिकेशन की लेखापरीक्षा/समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। डीओएस ने बताया कि एसटीक्यूसी ने आईसीईएस एप्लिकेशन की लेखापरीक्षा की है तथा ओरेकल ने आईसीईएस की कोड समीक्षा की है। तथापि, एसटीक्यूसी द्वारा लेखापरीक्षा में केवल सुरक्षा पहलू शामिल हैं और कोड समीक्षा कार्यक्रमों की सटीकता की जांच करता है। न तो एसटीक्यूसी और न ही ओरेकल ने ही निहित कारोबार प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और कारोबारी नियम बनाने की सटीकता की समीक्षा की जिसे आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन में अपूर्ण पाया गया, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि एक आईएस संगठन में व्यापक राजस्व निहितार्थ के साथ आईसीईएस एक महत्पूर्ण एप्लिकेशन जिसमें निम्नलिखित के लिए डाटाबेस ओएस, बुनियादी ढांचा, एप्लिकेशन हार्डवेयर की लेखापरीक्षा की आवश्यकता होती है:

I. आईटी सुरक्षा लेखापरीक्षा
II. मैलवेयर विश्लेषण
III. स्रोत कोड समीक्षा
IV. एप्लिकेशन विन्यास समीक्षा

V. आईसीटी बुनियादी ढांचा विन्यास समीक्षा

VI. एप्लिकेशन-ओएस-हार्डवेयर-नेटवर्क निष्पादन समीक्षाएं,

VII. दोषपूर्णता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी)

VIII. एप्लिकेशन परिवर्तन प्रबंधन के लिए प्रणाली जनित लॉग्स का विश्लेषण

IX. वेब एप्लिकेशन सुरक्षा (डब्ल्यूएएस) निर्धारण

X. तैनात पैचेज़ की वैधता और प्रोटोकॉल कार्यक्षमता

XI. एसएलए (सेवा स्तर करार) सूचकों का विश्लेषण और एसएलए सूचकों को मानीटर और परिकलन करने का तंत्र

XII. आईटी प्रणाली की निरंतरता सुनिश्चत करने के लिए लगाई गई तकनीक की समीक्षा

XIII. आईटी अधिनियम का अनुपालन

XIV. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन

विभिन्न परियोजनाओं की व्यापक आउटसोर्सिंग और अनुरक्षण गतिविधियों को देखते हुए सरकार को सेवा स्तर करार समीक्षा का नीतिगत नियंत्रण, स्रोत संहिता समीक्षा तथा आईटी ढांचे और एप्लिकेशन की निष्पादन लेखापरीक्षा को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। तदनुसार, एसएलएज् की तत्काल समीक्षा की जाए।

सिफारिश: *विभाग एप्लिकेशन (आईसीईएस 1.5) में सुधारों का सुझाव देने तथा कमियों का पता लगाने के लिए आवधिक रूप से लेखापरीक्षित अपने कोर एप्लिकेशन की जांच करने पर विचार करें। सरकार के पास अनिवार्य रूप से नीतिगत नियंत्रण होना चाहिए तथा तदनुसार एसएलएज़् की तत्काल समीक्षा की जाए।*

विभाग ने सिफारिशें स्वीकार की तथा कहा कि विभाग ऐसी लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक स्कील सेट की जांच करेगा तथा सीबीईसी के तहत उचित निदेशालय को कार्य आबंटित करेगा। प्रत्येक निर्देशिका के संदर्भ में शर्ते सीबीईसी के संवर्ग पुनर्गठन के कारण समीक्षा के अन्तर्गत है तथा उपयुक्त एजेंसी को उचित कार्रवाई का कार्य सौंपा जाएगा।

अभी तक लेखापरीक्षा सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है इसलिए केवल बाद की लेखापरीक्षा में ही आश्वासन देखा जा सकता है।

2.7 सीआरए मॉडयूल में कमी

(i) आईसीईएस 1.5 लागू होने के पश्चात् बीई तथा एसबी लेखापरीक्षा करने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र से आईसीईएस 1.5 तक पहुँचने हेतु सीआरए अधिकारियों को एसएसओआईडी जारी किया गया। तथापि, यह पाया गया कि एसबी के लिए चयन करते समय लेखापरीक्षा हेतु केवल रद्द परिष्कृत एसबी का चयन किया गया। इसे इस रिपोर्ट के माध्यम से सीआरए मॉड्यूल (परिशिष्ट ख) में अन्य ग्यारह निहित कमियों के अलावा मई 2012 तथा फरवरी 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया परन्तु सुधार नहीं किया गया।

(ii) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 में वित्त अधिनियम 2011 की धारा 42 द्वारा माल की निकासी की तिथि से छह माह से एक वर्ष तक के आयात के सदंर्भ में मांग वृद्धि के लिए अवधि को बढ़ाते हुए 8 अप्रैल 2011 से प्रभावी संशोधन किया गया। तथापि, इस परिवर्तन को आईसीईएस प्रणाली जहां केवल वर्तमान तिथि से छह माह तक के लिए लेखापरीक्षा योग्य दस्तावेजों का चयन करना संभव है, में उपलब्ध सीआरए मॉडयूल में सम्मिलित नहीं किया गया है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि 1 वर्ष की अवधि के लिए दस्तावेज प्राप्त करने हेतु सुविधा देने के लिए बहुत अधिक प्रसंस्करण बुनियादी ढ़ांचे की आवश्यकता है। इस प्रकार के सुधार अधिकतम प्रभावित करते है तथा इसलिए डीओएस को ऐसे संशोधन की व्यवहार्यता की जांच करनी होगी तथा मामलें का निपटान करना होगा।

सीबीईसी को विन्यास तथा स्मृति प्रबंधन पर लेखापरीक्षा को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) इसी प्रकार, सीआरए मॉडयूल में अनुक्रमिक क्रम में प्रत्येक मद का विवरण देखने के अलावा एक से अधिक मदों वाले बीई में जाने के लिए तथा किसी विशिष्ट मद को देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरणार्थ, 100

मदों वाले बीई में 100वीं मद पर जाने के लिए 'स्क्रॉल/एन्टर' को 200 बार प्रेस करने की आवश्यकता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि डीओएस को सीआरए मॉडयूल मे इस मामले का पता है। सीआरए मॉडयूल मूल्याकंन के दौरान मूल्यांकन अधिकारी को उपलब्ध आईसीईएस आवेदन के साथ श्रृंखला में है जिस पर पंक्ति के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। यह माना जाता है कि लेखापरीक्षा एक समान होगी। यदि लेखापरीक्षा को अन्य विवरण की आवश्यकता हो, तो इसे सिस्टम में उपलब्ध एमआईएस रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए, वर्तमान प्रक्रिया में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि आईसीएस का अभिन्न भाग होने के नाते लेखापरीक्षा केवल सीआरए मॉडयूल की कमियों को दर्शाता है, यहां प्रमुख मामला लेखापरीक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करना है। इसके अतिरिक्त, आईसीईएस 1.5 में सीआरए मॉड्यूल में निहित कमियों को पैराग्राफ संख्या 2.7 (i) में बताया गया था। इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षक की भूमिका को लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के साथ-साथ जांच के स्तर के अनुसार एक निर्धारण अधिकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है। लेखापरीक्षा की अनिवार्यता को लेखापरीक्षा द्वारा सीबीईसी को इस रिपोर्ट सहित कई मंचो पर बताया गया है।

2.8 जारी एसएसओआईडी की निगरानी

डीओएस नियुक्त नोडल अधिकारी के अनुरोध के आधार पर स्थानीय उपयोगकर्त्ता को ईडीआई प्रणाली तक पहुँचने के लिए एकल साइन पहचान (एसएसओआईडी) जारी करता है। एसएसओआईडी जारी करने के पश्चात्, क्षेत्रीय स्तर पर प्रणाली प्रबधंन/आयुक्तालय प्रशासन एसएसओआईडी गतिविधि के लिए प्रयोग तथा मॉनीटर के अन्दर कोई कार्य करने के लिए आवश्यक भूमिका/विशेषाधिकार प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 19 ईडीआई स्थानों जहां अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी, में से 10 पर प्रणाली प्रबधंक/प्रशासक के पास 31 मार्च 2013 तक जारी एसएसओआईडी

की संख्या उपलब्ध नहीं थी जो यह दर्शाता है कि स्थानीय प्रणाली प्रशासक द्वारा इन स्थानों पर एसएसओआईडी गतिविधियों को मानीटर नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, चेन्नई सागर, चेन्नई वायु, तूतीकोरिन, मुम्बई जोन II जेएनसीएच, मुम्बई जोन III एसीसी (आयात एवं सामान्य), नई दिल्ली, आईसीडी तुगलकाबाद, एसीसी नई दिल्ली, आईसीडी मंडीदीप, आईसीडी पीथमपुर, अहमदाबाद और कोलकाता पोर्ट आयुक्तालय ने कहा है कि सिस्टम प्रबंधक को आयुक्तालय के अन्तर्गत ईडीआई स्थान के लिए जारी एसएसओआईडी की स्थिति पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

सीबीईसी ने डीजी (प्रणाली) के दिनांक 15 दिसम्बर 2008, 18 सितम्बर 2014 तथा 23 फरवरी 2013 के पत्र का हवाला देते हुए अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2014) कि ईडीआई स्थानों पर सभी सिस्टम उपयोगकर्त्ताओं की मासिक समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया लागू की जाती है क्योंकि स्थानान्तरण, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति के कारण परिवर्तन को न्यायसंगत माना जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है कि सिस्टम प्रबधंकों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में जारी एसएसओआईडी पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।

ऐसे मामलों जहां क्षेत्रीय संगठन बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन नहीं कर रहा था, में मॉनीटरिंग तंत्र के संदर्भ में, सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2014) कि एक केन्द्रीय एसआई टीम उपयोगकर्त्ताओं को जारी एसएसओआईडी को मॉनीटर करती है। सिस्टम में उपयोगकर्त्ता की जन्म तिथि के आधार पर उस माह में सेवानिवृत उपयोगकर्त्ताओं को केन्द्रीय टीम प्रत्येक माह निष्क्रिय करती है। पिछले छह माह में अनुपयुक्त वीपीएन आईडीज को निष्क्रिय करने हेतु उपयोगकर्त्ताओं के लिए वीपीएनआईडी विश्लेषण किया जाता है। एक सक्रिय उपाय के रूप में, एक इलेक्ट्रॉनिक उपयोगकर्त्ता एक्सेस प्रबंधन (यूएएम) उपकरण को विकसित किया गया है जो वर्तमान में परीक्षण के अन्तर्गत है।

इसे आगामी लेखापरीक्षा में प्रमाणित किया जाएगा।

2.9 आरएमएस निर्यात मॉड्यूल के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब

डीओएस द्वारा मै. बिरलासॉफ्ट लिमिटेड को 24 अगस्त 2004 को प्रदान किए गए करार तथा 20 जुलाई 2005 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, विक्रेता को करार देने के 115 दिनों के अन्दर आबंटन, इंस्टॉल तथा आरएमएस आयात, निर्यात कमीशन तथा पोस्ट लेखापरीक्षा मॉडयूल करना था। आरएमएस आयात मॉड्यूल को एसीसी, सहार में 7 दिसम्बर 2005 को तथा आईसीडी मुलुन्द तथा आईसीडी पटपड़गंज में 15 जुलाई 2013 को आरएमएस निर्यात मॉड्यूल को लागू किया गया।

इस प्रकार, आरएमएस आयात के कार्यान्वयन में एक वर्ष का तथा आरएमएस निर्यात मॉडयूल को प्रारम्भ करने में लगभग नौ वर्षों का विलम्ब हुआ।

यह बताए जाने पर, आरएमडी, मुम्बई ने कहा (अगस्त 2013) कि विक्रेता के नियंत्रण के बाहर आवश्यकताओं के निर्धारण में विलम्ब, आंकड़ों के संकलन में समस्याएं, आईसीईएस अनुप्रयोग में आवश्यक परिवर्तन आदि जैसे न्यायोचित कारणों से चूक हुई। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि आरएमएस निर्यात मॉडयूल के लिए आवश्यकताओं तथा कोड्स को आयात मॉड्यूल के लिए आरएमएस के लागू करने के पश्चात् अंतिम रूप दिया गया तथा निर्यात मॉडयूल को अप्रैल 2009 से पूर्व विकसित किया गया तथा यह आईसीडी दादरी में परीक्षण के अन्तर्गत था। लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि केन्द्रीय पर्यावरण की ओर स्थानान्तरण वाली आईटी समेकित परियोजना शुरू हो गई थी जिसने आईसीईएस निर्यात मॉडयूल के कार्य प्रवाह के साथ-साथ निर्यात के लिए आरएमएस सॉफ्टवेयर में बदलाव को अनिवार्य बना दिया था।

सीबीईसी के दिनांक 24 जून 2013 के परिपत्र के अनुसार, निर्यात के लिए आरएमएस के प्रारम्भ की घोषणा करते हुए इसने अपनी वर्तमान व्यापार प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरिंग की पहल जोकि आयात के लिए आरएमएस की शुरूआत का अभिन्न हिस्सा था, की निरन्तरता में निर्यात के लिए आरएमएस प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। आगे यह कहा गया कि शिकायत निर्यात कार्गों की निकासी में तीव्रता लाने के माध्यम से निर्यात हेतु आरएमएस इसमें लगने वाले समय में कमी करने में योगदान देगा जिससे लेन-देन की लागत

में कमी करने के तथा व्यवसाय को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा।

इस प्रकार, उसी समय एक व्यवसाय प्रक्रिया पुन: इंजीनियरिंग की शुरूआत की गई क्योंकि स्वयं विभाग द्वारा दावित रूप में इसके प्रारम्भ से होने वाले लाभ सहित आयात के लिए आरएमएस में इस मॉड्यूल की कम महता से हुए धीमे कार्यान्वयन तथा आरएमएस आयात मॉडयूल कार्यान्वित होने के पश्चात इसे विकास हेतु लेने के कारण लगभग नौ वर्षों का विलम्ब हुआ।

बोर्ड द्वारा जून 2013 तक कार्गो निकासी के समय को कम करने के लिए सिस्टम की प्रभावोत्पादकता तथा क्षमता को मापने के लिए कोई 'टाइम रिलीज अध्ययन' नहीं किया गया। बोर्ड ने सूचित किया कि उन्होंने विभिन्न सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार में जून 2013 में 'टाइम रिलीज अध्ययन' का गठन किया है तथा विभिन्न सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार द्वारा निष्कर्ष प्रतीक्षित है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में यह भी कहा (जनवरी 2014) कि:

(i) आरएमएस को विशेषत: आरएमएस-निर्यात के संदर्भ में अनिवार्य रूप से एक व्यापार सुविधा उपाय के रूप में देखा जाता है न कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के एक उपकरण के रूप में। आरएमएस निर्यात को दिसम्बर 2005 में कार्यान्वित किया गया तथा आरएमएस अनुप्रयोग को विक्रेता द्वारा तैयार किया गया और जांच हेतु 2009 में लिया गया। आरएमएस-निर्यात के कार्यान्वयन में विलम्ब के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विलम्ब निर्यात पर आयात को कम महत्व देने के कारण नहीं अपितु विभिन्न प्रचालन कारणो से हुआ। प्रारंभिक रूप से, सीमा शुल्क को वितरक परिवेश में चलाया गया तथा आरएमएस 2.7 को पुराने सीमा शुल्क अनुप्रयोग पर चलाने के लिए विकसित किया गया (आईसीईएस 1.0)। तथापि, 2008 में देर से सीबीईसी ने सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा एक केन्द्रीकृत परिवेश से आईसीईएस तथा आरएमएस अनुप्रयोग के लिए एक केन्द्रीकत सरंचनात्मक ढांचे (डाटा सेन्टर आदि) की स्थापना की। आदर्श रूप में, आईसीईएस, आईसीईजीएटीई तथा आरएमएस नामत: सभी तीनों सीमा शुल्क अनुप्रयोगों में एक एकल एकीकृत अनुप्रयोग किया जाना चाहिए। परन्तु जब से इन कार्यों को एक समयावधि हेतु सीबीईसी द्वारा लिया गया, तब से कार्य अलग-अलग

विक्रेताओं जिन्होंने पृथक अनुप्रयोग किया, को दिया गया। सभी तीनों अनुप्रयोगों को एक दूसरे के साथ संगत बनाना, अन्य अनुप्रयोगों में एक आवश्यक परिवर्तन/संशोधन में बदलाव करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

(ii) इसी दौरान, निर्यात पक्ष पर दस्तावेजों की संख्या में एक घातांकी वृद्धि थी तथा इसमें निर्यात आरएमएस के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता थी। अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं के बिना आरएमएस निर्यात लागू करने से निर्यात निकासी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बुनियादी सुविधाओं को अगस्त 2012 के दौरान अंतिम रूप से सवंर्धित किया गया तथा संगत मुद्दों को हल करने, अन्य एकीकरण परीक्षण करने तथा अनुप्रयोग में आवश्यक परिवर्तन करने के पश्चात् तथा जून 2013 में सीबीईसी द्वारा परिपत्र जारी होने के पश्चात्, निर्यात आरएमएस को अंतिम रूप से 15 जुलाई 2013 को लागू किया गया तथा व्यापार असुविधा से बचने के लिए स्तरों में राष्ट्रीय रोल-आउट योजना बनाई गई।

(iii) वर्तमान में, 85 स्थानों में निर्यात आरएमएस कार्यान्वित किया जाता है। शेष 4 स्थानों जहां मध्य फरवरी 2014 तक आरएमएस-आयात भी कार्यरत है, में निर्यात आरएमएस को पूर्ण क्रियान्वित करना निर्धारित है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में आगे कहा (फरवरी 2014) कि व्यापार सुविधा तथा प्रवर्तन के बीच एक उचित सतुंलन बनाए रखने के लिए आरएमएस एक उपकरण है। लेखापरीक्षा ने टिप्पणी की कि यदि उसमें आरएमएस (आयत/निर्यात) की रोलिंग आउट के पश्चात् निर्धारित संकेतक के प्रति व्यापार सुविधा तथा उपलब्धि पर सीबीईसी द्वारा अपनाए गए संकेतक थे, तो इसका लेखापरीक्षा को संकेत देने के लिए कोई रिपोर्ट/रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यापार सुविधा एक व्यापक शब्द है तथा इसमें कई अमूर्त तथा बिना मापन के लाभ हैं जो एक आयातक/निर्यातक के लिए उत्पन्न होता। उदाहरण हेतु, एक मजबूत आरएमएस अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी)/अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) आदि जैसी व्यापार सुविधा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाता है जिसका लगभग 90-92 का अधिक उच्चतर सुविधा स्तर है। इसके अलावा सीबीईसी के दिनांक 02 सितम्बर 2011 के परिपत्र ने एसीसी हेतु 80

प्रतिशत, समुद्री बन्दरगाहों हेतु 70 प्रतिशत तथा आईसीडी के लिए 60 प्रतिशत सुविधा स्तर निर्धारित किया। आदर्श सुविधा स्तर तक पहुँचने के लिए प्रयास किए गए है। तथापि, सरलीकरण तथा प्रवर्तन को सतुंलित किया जाना है, एयर कार्गों के लिए वर्ष 2013-14 में आयात मॉडयूल में सुविधा का वर्तमान स्तर 62 प्रतिशत, समुद्र का 45 प्रतिशत तथा आईसीडी का 42 प्रतिशत था।

निर्यात पक्ष पर, आरएमएस निर्यात के कार्यान्वयन के पूर्व सुविधा स्तर लगभग 50 प्रतिशत था। आरएमएस निर्यात के रोल आउट के पश्चात्, वर्तमान सुविधा स्तर 78 प्रतिशत है। तथापि, यह देखा जा सकता है कि सुविधा का स्तर व्यापार द्वारा डीजीएफटी तथा बदंरगाह वार पैटर्न/डिग्री/अनुपालन की प्रवृति/गैर-अनुपालन आदि जैसे अन्य पणधारियों से अनुपालन आवश्यकताओं सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए यदि सीमा शुल्क अकेला अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाता है तब भी सुविधा स्तर वांछित स्तर तक नहीं पहुँच सकता, भले ही कुछ अन्य एजेंसी से एक नई अनुपालन आवश्यकता है।

अपेक्षित बुनियादी ढ़ांचे के बिना आरएमएस निर्यात का कार्यान्वयन निर्यात निकासी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। निर्यातकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, सीबीईसी ने आरएमएस निर्यात की रोलिंग आउट से पूर्व बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। बुनियादी सुविधाओं को अंतिम रूप से अगस्त 2012 के दौरान सवंर्धित किया गया तथा सुसंगत मामलों के निपटान के पश्चात् आगे एकीकरण परीक्षण तथा अनुप्रयोग में आवश्यक सुधार किए गए और सीबीईसी द्वारा दिनांक 24.06.2013 का परिपत्र जारी करने के पश्चात्, निर्यात आरएमएस को 15 जुलाई 2013 को अंतिम रूप से लागू किया गया। व्यापार की असुविधा से बचने के लिए, चरणों में राष्ट्रीय रोल-आऊट की योजना बनाई गई। इससे केवल यह सुनिश्चित होता है कि सीबीईसी की स्वचालन योजना में निर्यातक का हित सर्वोपरि था।

सीबीईसी ने स्वीकार किया कि आईसीईएस 1.5 वर्जन हेतु माइग्रेशन सहित विभिन्न परिचालन कारणों की वजह से आरएमएस निर्यात मॉडयूल के

कार्यान्वयन में काफी विलम्ब हुआ। तथापि, जून 2010 में आईसीईएस 1.5 माइग्रेशन के पश्चात् भी, इसने चरणों में धीरे-धीरे रोल आउट करने के लिए तीन वर्षों का समय लिया। यह उल्लेख किया गया कि व्यापार सुविधा के लिए आईसीईएस/आरएमएस अनिवार्य था। तथापि, यदि इसमें आरएमएस (आयात) /आरएमएस (निर्यात) की रोलिंग आउट के पश्चात् सेट संकेतक के प्रति व्यापार सुविधा तथा उपलब्धि पर सीबीईसी द्वारा अपनाए गए संकेतक थे तो इसका संकेत देने के लिए लेखापरीक्षा को कोई रिपोर्ट/रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

विभाग का दावा कि निर्यात की ओर दस्तावेजों की संख्या में घातांकी वृद्धि थी, लेखापरीक्षा के इस तर्क की पुष्टि करता है कि सीबीईसी ने न तो निर्यात की प्रवृति की परिकल्पना की तथा न ही निर्यात को पर्याप्त प्राथमिकता दी।

2.10 पश्च अनुमति लेखापरीक्षा (पीसीए) का निष्पादन

स्व-निर्धारण को प्रभावी तरीके से लागू करने तथा व्यापार के लिए इसके लाभों को सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने निर्णय लिया कि आरएमएस के तहत वर्तमान सुविधा स्तर को काफी बढ़ाया जाना चाहिए। तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 02 सितम्बर 2011 के परिपत्र के अनुसार, जोखिम नियमों तथा जोखिम मापदण्डों को युक्तिसंगत बनाकर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बन्दरगाहों तथा आईसीडी के मामलें में सुविधा स्तर को क्रमश: 80, 70 तथा 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 13 जून 2012 के बोर्ड परिपत्र के अनुसार, एक ही समय में उच्चतर सुविधा को पीसीए/पीसीसीवी[1] स्तर पर बीई की अधिक संवीक्षा की आवश्यकता के लिए किया गया है। इसलिए, यह अनुभव किया गया कि पीसीए के लिए चयनित बीई की प्रतिशत को संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा बढ़ाए जाने की जरूरत है। अत: बोर्ड ने निर्देश दिए कि जब आयातकों की सभी श्रेणियों के लिए ओएसपीसीए[2] को लागू करने योग्य बनाया गया तब सीमाशुल्क में पीसीए के लिए चयनित बीई की प्रतिशत को राजस्व हित की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। बोर्ड ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि सीमाशुल्क के

[1] पश्च-निकासी अनुपालन सत्यापन

[2] ऑन साइट पश्च अनुपालन लेखापरीक्षा

संबंधित मुख्य आयुक्तों को अपने क्षेत्राधिकार में स्टॉफ की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए तथा लेखापरीक्षा कार्य के लिए अधिक श्रमबल पुनः आबंटित करना चाहिए क्योंकि घटती जांच के अनुसार बढ़ी सुविधा ने माल की जांच के लिए स्टॉफ की कम आवश्यकता को बताया था। अतः यह जरूरी था कि अतिरिक्त स्टॉफ को सीमाशुल्क में पीसीए तथा एसआईआईबी[3] जैसी गतिविधियों के लिए बांटना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 19 ईडीआई स्थानों पर आरएमएस सुविधा स्तर तथा पीसीए कार्य के संदर्भ में, चेन्नई समुंद्र, तूतीकोरिन, कोच्चि समुंद्र तथा मुम्बई जोन ।। एनसीएच पोर्टों में आरएमएस सुविधा की प्रतिशतता परिपत्र में निर्देशित स्तर से कम थी जबकि मुम्बई जोन । एनसीएच, गोवा, नागपुर, आईसीडी, तुगलकाबाद, आईसीडी पटपड़गंज तथा कोलकाता पोर्ट के मामले में, आरएमएस सुविधा की प्रतिशतता परिपत्र में निर्दिष्ट स्तर से काफी अधिक थी जैसाकि परिशिष्ट त में वर्णित है।

तथापि, कोलकाता पोर्ट तथा एयरपोर्ट, मुम्बई एनसीएच, गोवा, आईसीडी तुगलकाबाद तथा आईसीडी पटपड़गंज द्वारा प्रस्तुत लगभग 100 प्रतिशत की आरएमएस सुविधा के आंकड़े अवास्तिवक प्रतीत हुए तथा इसलिए इनकी वर्ष 2012-13 के लिए इन ईडीआई स्थानों से संबंधित आईसीईएस 1.5 आंकडों के प्रति जांच की गई। यह पाया गया कि प्रस्तुत आंकड़े वास्तविक आरएमएस सुविधा स्तर की तुलना में गलत थे जो बोर्ड के परिपत्र के अनुसार बेंचमार्क स्तर से कम 35 से 64 प्रतिशत तक भिन्न थे।

इसके अलावा, एनसीएच मुम्बई जोन ।, पुणे, गोवा, चेन्नई समुद्र आयुक्तालय, आईसीडी तुगलकाबाद, पटपड़गंज, नई दिल्ली एनसीएच, कोलकाता पोर्ट तथा एयरपोर्ट में, दिनांक 13 जून 2012 के बोर्ड परिपत्र के निर्देश के विपरीत पीसीए के लिए चयनित आरएमएस बीई की प्रतिशतता कम हुई है जैसाकि अनुबंध थ में दर्शाया गया है।

[3] विशेष जाँच और खुफिया शाखा

यह भी देखा गया कि इन सीमाशुल्क स्थानों पर विभाग द्वारा गलत निर्धारण का पता लगाने की कोई गुजांइश छोड़े बिना आईसीडी मंडीदीप तथा आईसीडी पीथमपुर में कोई पीसीए विंग नहीं बनाया गया है।

19 ईडीआई स्थानों द्वारा पीसीए कार्य पर प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्ट की जानकारी से यह पता चला कि चेन्नई तूतीकोरिन, कोच्चि समुद्र सीमाशुल्क, आईसीडी तुगलकाबाद, एनसीएच नई दिल्ली, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट तथा अहमदाबाद ऐसी रिपोर्टें बना रहे थे तथा मुख्य आयुक्तों और/अथवा डीजी (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत कर रहे थे, परन्तु केवल समुद्री सीमाशुल्क (चेन्नई तथा कोच्चि) तथा तूतीकोरिन सीमाशुल्क आरएमडी, मुम्बई को रिपोर्ट अग्रेषित कर रहे थे। आरएमएस सुविधा निर्धारण में, क्या स्वीकृत आरएमएस सुविधा सही थी अथवा नहीं, इसे सुनिश्चित करने का एक मात्र तरीका पश्च् अनुमति बीई की लेखापरीक्षा करना है। प्रत्येक ईडीआई स्थान पर पीसीए विंग द्वारा आरएमएस सुविधा के मामलें में निर्धारण में चूकों का पता लगाने की प्रवृति आरएमएस की प्रभावकारिता पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। आरएमडी, मुम्बई को ऐसी रिपोर्टिंग के अभाव में, यह प्रतीत होता है कि आरएमडी द्वारा आरएमएस को सुधारने के लिए व्यापक इनपुटों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा, डीजी, निरीक्षण ने 1 फरवरी 2013 को सीबीईसी के पंच वर्षीय नीतिगत योजना के लिए इनपुटों की मांग की ताकि सभी पोर्ट तथा लेन-देन को कवर करने वाले एक मजबूत आरएमएस को स्थापित किया जा सके। आरएफडी वि.व.13 इस गतिविधि को कवर नहीं करता है।

क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त पीसीए गतिविधि पर सूचना का सकंलन जैसाकि अनुबंध द में दर्शाया गया, से पता चला कि आरएमएस मामलों की संवीक्षा में वृद्धि करने के लिए पीसीए को अधिक श्रमबल आबंटित करने के बोर्ड के निर्देश की किसी सथान पर अनुपालना नहीं की गई है तथा 10 सीमा शुल्क स्थानों जिसके लिए आंकड़े प्राप्त किए गए है, में से 8 मामलों के लंबन की बढ़ती प्रवृति दर्शायी गई है। इनमें से, कस्टम हाऊस, दिल्ली में 2.83 लाख मामलें लंबित थे तथा जेएनसीएच, मुम्बई में 3.72 लाख मामले लंबित थे।

इसके अलावा, 31 मार्च 2013 तक एसीसी चेन्नई तथा तूतीकोरिन आयुक्तालयों पर लंबित पीसीए बिलों की संवीक्षा से पता चला कि लगभग 138 तथा 2,172 प्रविष्टि बिलो के सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 के तहत पहले ही समय बाधित हो गए थे। उसके कारण गलत निर्धारण का पता लगने के बाद भी मांग बढ़ने के अवसर पर प्रतिबंध लगा। यह भी देखा गया कि प्रमुख सीमाशुल्क बंदरगाहों में पाए गए मामलों के अनुसार अधिक लंबन के कारण समय-बाधित होने से वसूली के जोखिम को कम करने हेतु पीसीए बीई के चयन के लिए एक मापदण्ड के रूप में 'प्रभार रहित' तिथि पर विचार करने के लिए बीई की श्रृंखला की कोई पद्धति नहीं थी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि अखिल-भारतीय आधार पर 2012-13 के दौरान एयर कार्गो काम्प्लेक्स का सुविधा स्तर 70.39 प्रतिशत था। तथापि, 19 सीमाशुल्क स्थानों पर आरएमडी को पीसीए गतिविधियों की रिपोर्टिंग न करने पर अवलोकन, 11 स्थानों पर पीसीए कार्य का लंबन तथा पीसीए अनुभागों में पर्याप्त स्टॉफ नियुक्त करके श्रमबल का युक्तिकरण न करने के संदर्भ में, सीबीईसी ने कहा कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित आयुक्तालय के साथ बांटा जा रहा है। आरएमडी ने पीसीए रिपोर्ट के संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ बातचीत की है तथा उनके द्वारा बताए गए का संज्ञान लिया है।

इसके अलावा सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि 2012-13 के दौरान, आरएमडी ने 21 स्थानों से पीसीए निष्पादन रिपोर्टें प्राप्त की है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 304 मामलों में ₹ 2.26 करोड़ की वसूली की गई है। इन रिपोर्टों की समीक्षा पर आधारित निषेध जहां भी आवश्यक हो, को बाद के जोखिम को सम्बोधित करने के लिए आरएमएस में रखा गया।

सीबीईसी के उत्तर की आगामी लेखापरीक्षा के दौरान जांच की जाएगी।

2.11 स्थानीय जोखिम प्रबधंन (एलआरएम) की अप्रभावी कार्यप्रणाली

आईसीईएस 1.5 की जोखिम प्रबंधन प्रणाली के दो घटक है- राष्ट्रीय जोखिम प्रबधंन (एनआरएम) तथा स्थानीय जोखिम प्रबंधन (एलआरएम)। जहां राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम नियमों तथा लक्ष्यों को आरएमडी, मुम्बई द्वारा सम्मिलित

तथा अद्यतन किया जाता है, वहीं सीमाशुल्क स्थानों पर एलआरएम समितियां स्थानीय लक्ष्यों को मिलाने के माध्यम से स्थानीय जोखिम कारकों को जोड़ने तथा निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 28 जून 2007 के सीबीईसी के अनुसार, प्रत्येक कस्टम हाऊस/एसीसी में सीमाशुल्क के आयुक्त पद से कम न होने वाले एक अधिकारी द्वारा अध्यक्षित एक आरएलएम समिति का गठन किया जाना था। समिति की आरएमएस के ढांचे पर चर्चा करने तथा निष्पादन की समीक्षा करने और आरएमडी, मुम्बई को आवधिक रिपोर्ट भेजने के लिए प्रत्येक माह एक बार बैठक होनी थी।

लेखापरीक्षा ने आरएमएस तथा पीसीए के निष्पादन की निगरानी करने के लिए अपने कार्य के निर्वहन में लगभग सभी स्थानों पर एलआरएम की खराब कार्यप्रणाली पाई। अभी तक गोवा, आईसीडी पटपड़गंज, आईसीडी मंडीदीप, आईसीडी पीथमपुर तथा कोलकाता एयरपोर्ट आयुक्तालयों में कोई एलआरएम समिति गठित नहीं हुई है। चेन्नई एयर आयुक्तालय में, लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर केवल जून 2013 में एलआरएम समिति गठित हुई। आईसीडी तुगलकाबाद, एनसीएच मुम्बई जोन-I, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अहमदाबाद आयुक्तालय में, परिपत्र जारी होने के पश्चात तीन से पांच वर्षों तक एलआरएम समिति गठित हुई। कोलकाता पोर्ट तथा पुणे पर आयुक्तालयों को एलआरएम समिति की बैठकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। 19 ईडीआई स्थानों जहां लेखापरीक्षा में एलआरएम कार्यप्रणाली की जांच की गई, में से शेष 10 पर कोच्चि आयुक्तालय को छोड़कर, आरएमएस के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए एलआरएम समिति की बैठके कभी-कभार आयोजित हो रही थी। इसके अलावा, आरएमडी, मुम्बई द्वारा प्रस्तुत सूचना से लेखापरीक्षा ने पाया कि पुणे, कोलकाता (पोर्ट), कोलकाता (एयरपोर्ट), आईसीडी पटपड़गंज, एसीसी चेन्नई आदि ने 2010-2013 की अवधि के दौरान किसी गठित एलआरएम समिति जो स्थानीय लक्ष्यों के समावेश पर विचार तथा उसे अधिकृत करता है, के बिना पर्याप्त स्थानीय एलआरएम लक्ष्यों को सम्मिलित किया था।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि वर्तमान में आरएमएस आयात 88 आईसीईएस स्थानों पर कार्य कर रहा है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उनके अंत पर सीमाशुल्क के संबंधित

आयुक्तालयों के साथ बांटा जा रहा है। पुणे, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, आईसीडी पटपड़गंज द्वारा स्थानीय लक्ष्यों के समावेश के संदर्भ में एसीसी (चेन्नई) ने एलआरएमसी द्वारा किसी समीक्षा के बिना 2010-13 के दौरान स्थानीय लक्ष्यों का समावेश किया था। डीओएस ने कहा कि स्थानीय जोखिम को सम्बोधित करने के लिए लक्ष्यों/हस्तक्षेप को समाहित करने हेतु एलआरएमसी पूर्व अपेक्षित नहीं है। एलआरएम का कार्य अतिरिक्त आयुक्त (एसआईआईबी) जो विभिन्न मदों के आयात में प्रचलन तथा उनके मूल्यांकन के साथ लगातार सम्पर्क में रहता है, के द्वारा किया जाता है। वह स्थानीय स्तर पर किसी सतर्कता, प्रतिक्रिया, सीमाशुल्क अथवा सम्बंधित अधिनियमों का उल्लंघन तथा शुल्क अपवंचन के साथ दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्य करता है एलआरएम को किसी कानून के उल्लघंन अथवा शुल्क अपवंचन से बचने के लिए स्थानीय लक्ष्यों के समावेश सहित शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है।

इसके अलावा सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि बोर्ड के दिनांक 24 नवम्बर 2005 के परिपत्र के पैराग्राफ 7 के अनुसार, ''कस्टम हाउस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थानीय जोखिम प्रबधंन प्रणाली होगी। स्थानीय जोखिम प्रबधंन बीई तथा आईजीएम आदि की लाइव प्रक्रिया को करेगा। स्थानीय जोखिम प्रबधंन प्रणाली में उपयोगकर्त्ता को विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त के स्तर पर 'स्थानीय जोखिम प्रबंधंन प्रणाली' हेतु प्रशासक को नियुक्त करने के लिए सीमा शुल्क आयुक्त आवश्यक है। आरएमएस में बीई की स्थानीय प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर समाहित निषेध पर आधारित है।''

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 28 जून 2007 का बोर्ड परिपत्र निर्धारित करता है कि सीमाशुल्क आयुक्त के समान पद के एक अधिकारी द्वारा अध्यक्षित एक एलआरएम समिति को प्रत्येक कस्टम हाउस/एसीसी पर गठित किया जाना था। तदनुसार एलआरएम समिति बनाए बिना अधिकारियों द्वारा स्थानीय लक्ष्यों के समावेश का बोर्ड के दिनांक 28 जून 2007 के परिपत्र में उल्लंघन है। एलएमआरसी की समीक्षा के बिना स्थानीय लक्ष्यों के समावेश के लिए बोर्ड/डीओएस प्राधिकृत एलआरएम द्वारा जारी कोई रिकॉर्ड/अनुदेश लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।